आईडीबीआई बैंक जमा नीति

क्रम सं.	शीर्षक
1.	**प्रस्तावना**
2.	**जमा खातों के प्रकार**
3.	**खाता खोलना और जमा खातों का परिचालन**
3.1	खाता खोलना
3.2	जमा खातों का परिचालन
3.3	अधिदेश
3.4	संयुक्त खाता धारकों के नाम जोड़ना अथवा हटाना
3.5	नामांकन
3.6	नाबालिग का खाता
3.7	अशिक्षित/ नेत्रहीन व्यक्ति का खाता
3.8	खाते का अंतरण
3.9	खाता विवरण
3.10	ब्याज की अदायगी
3.11	डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग
3.12	भुगतान रोको (स्टॉप पेमेंट) सुविधा
3.13	निष्क्रिय (डॉरमेंट) खाते
4.	**मीयादी जमा राशि**
4.1	मीयादी जमा राशियों के प्रकार
4,2	ब्याज की अदायगी
4.3	मीयादी जमा को परिपक्वता से पहले आहरित करना
4.4	मीयादी जमा का परिपक्वता से पहले नवीकरण
4.5	अतिदेय मीयादी जमाओं का नवीकरण
4.6	जमाराशियों पर अग्रिम
4.7	दिवंगत जमा खाते में देय राशियों का निपटान
4.8	दिवंगत के खाते में मीयादी जमा पर देय ब्याज
5.	**अन्य महत्वपूर्ण जानकारी**
5.1	ग्राहक सूचना
5.2	ग्राहक खातों की गोपनीयता
5.3	स्थानीय/बाहरी चेकों का संग्रहण
5.4	जमाओं के लिए बीमा कवर
5.5	सुरक्षित जमा लॉकर
5.6	बचत एवं चालू खाते को स्वप्रेरणा से बंद करना
5.7	शिकायतों का निवारण

जमा नीति

1. प्रस्तावना

1.1 बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है - उधार के प्रयोजन हेतु जनता से जमाराशियां स्वीकार करना. वस्तुतः जमाकर्ता बैंकिंग प्रणाली के प्रमुख हितधारक हैं. जमाकर्ता और उनके हित भारत में बैंकिंग के विनियामक ढाँचे के मुख्य क्षेत्र हैं और यह बैंकिंग विनयमन अधिनियम, 1949 में प्रतिष्ठापित है. भारतीय रिज़र्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह समय-समय पर जमाओं पर ब्याज दरों तथा जमा खातों के परिचालन के बारे में निदेश/सलाह जारी कर सकता है. वित्तीय प्रणाली में उदारीकरण और ब्याज दरों के विनियमन के बाद बैंक अब रिज़र्व बैंक द्वारा जारी व्यापक दिशा-निर्देशों के तहत जमा योजनाएं तैयार करने के लिए स्वतंत्र हैं.

1.2 जमाओं पर इस नीति दस्तावेज में बैंक द्वारा पेश किए जाने वाली विभिन्न जमा योजनाओं के प्रतिपादन से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत और खाते के संचालन को अभिशासित करने वाले निबंधनों एवं शर्तों की जानकारी दी गई है. यह दस्तावेज जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता देता है और इसका लक्ष्य जनसाधारण के विभिन्न वर्गों से जमाराशियां स्वीकार करने, विभिन्न जमा खातों के संचालन और परिचालन, विभिन्न जमा खातों पर ब्याज की अदायगी, जमा खातों को बंद करने, मृत जमाकर्ताओं की जमाओं के निपटान की प्रणाली आदि के विभिन्न पहलुओं के संबंध में ग्राहकों के लाभ के लिए जानकारी को प्रचारित-प्रसारित करना है. यह आशा की जाती है कि यह दस्तावेज अलग-अलग ग्राहकों के साथ संव्यवहार करते समय ज्यादा पारदर्शिता उपलब्ध कराएगा और ग्राहकों में उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करेगा. इसका अंतिम उद्देश्य यह है कि ग्राहक को बिना मांगे वे सेवाएं प्राप्त हों जिनके लिए वे हकदार है.

इस नीति को अपनाते हुए बैंक भारतीय बैंक संघ के बैंकर उचित व्यवहार संहिता में दी गई एकल ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धताओं को दुहराता है. यह दस्तावेज व्यापक रूपरेखा है जिसके अंतर्गत सामान्य जमाकर्ताओं के अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है. विभिन्न जमा योजनाओं और संबंधित सेवाओं के बारे में विस्तृत परिचालन निर्देश समय-समय पर जारी किए जाएंगे.

2.जमा खातों के प्रकार

हालांकि बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न जमा योजनाओं को अलग-अलग नाम दिए गए हैं, जमा योजनाओं को सामान्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है. प्रमुख जमा योजनाओं की परिभाषाएं निम्नानुसार हैं:

i. **"मांग जमा"** का अर्थ है बैंक द्वारा प्राप्त की गई वह जमाराशि जो मांग पर आहरित की जा सकती है.

ii. **"बचत जमा"** का अर्थ है मांग जमा का एक प्रकार जिस पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा अनुमत आहरणों की संख्या, साथ ही आहरणों की राशि पर सीमाओं की शर्त लागू हो.

iii. **"मीयादी जमा"** का अर्थ है- बैंक द्वारा नियत अवधि के लिए प्राप्त जमाराशि जो निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद ही आहरित की जा सकती है. इसमें आवर्ती/ अल्पावधि जमा/ सावधि जमा/ मासिक आय/ तिमाही आय/ स्वीप-इन-डिपॉजिट (यूनिटों में धारित) जैसे जमा अथवा सावधि जमा के अन्य प्रकार शामिल हैं.

iv. **"सूचना पर देय"** जमाराशि का अर्थ है विशिष्ट अवधि के लिए मीयादी जमा किंतु इसके आहरण के लिए कम से कम एक पूर्ण बैंकिंग दिन की नोटिस देना अनिवार्य है.

v. **"चालू खाता जमा"** का अर्थ है मांग जमा का वह प्रकार जिसमें खाते में उपलब्ध शेष के आधार पर अथवा एक विशेष सहमत राशि की सीमा तक कितनी ही बार आहरण किये जा सकते हैं और इसमें वे

जमा खाते भी शामिल होंगे जो न तो बचत खाता हैं और न ही मीयादी जमा.

3.**खाता खोलना और जमा खातों का परिचालन**

बैंक अपने ग्राहकों को उन विभिन्न प्रकार के खातों के ब्योरे उपलब्ध कराएगा जो वे बैंक के साथ खोल सकते हैं. ग्राहक अपनी आवश्यकता और लागू दिशानिर्देशों के आधार पर वे खाते चुन सकते हैं जो उनके लिए सबसे बेहतर हों.

i. बैंक किसी प्रकार का खाता खोलने से पहले रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए "अपने ग्राहक को जानिए" (केवाईसी) दिशा-निर्देशों के अधीन अपेक्षानुसार अथवा बैंक द्वारा अपनाये गये इस प्रकार के अन्य मानदंडों अथवा प्रक्रियाओं के अनुसार सम्यक सतर्कता बरतेगा. यदि किसी भावी ग्राहक के खाते को खोलने के निर्णय के बारे में उच्च स्तरीय अनुमति की आवश्यकता होगी तो खाता खोलने में हो रही किसी प्रकार की देरी के कारण उसे सूचित किए जाएंगे और बैंक का अंतिम निर्णय यथाशीघ्र उसे सूचित किया जाएगा.

ii.बैंक द्वारा भावी जमाकर्ता को खाता खोलने संबंधी फॉर्म तथा अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. उसमें सत्यापन और अथवा रिकार्ड के लिए प्रस्तुत की जानेवाली जानकारी और कागजात के ब्योरे शामिल होते हैं. खाता खोलने वाले बैंक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि भावी जमाकर्ता द्वारा जमा खाता खोलने के लिए संपर्क करने पर वह उसे प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को स्पष्ट करे और उसके द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों को उपलब्ध कराए.

iii.बचत बैंक खाता और चालू जमा खाता जैसी जमा योजनाओं के लिए बैंक सामान्य तौर पर इन खातों को अभिशासित करने वाले निबंधनों एवं शर्तों के भाग के रूप में बनाये रखे जाने वाले कुछ न्यूनतम शेष की शर्त लगाएगा. खाते में न्यूनतम शेष बनाये रखने में असफल रहने पर बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए अनुसार प्रभार वसूले जाएंगे.

समाज के निम्न वर्ग को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाने के लिए सबका बचत खाता (केवायसी में छूट के साथ) और सबका बेसिक बचत खाता (संपूर्ण केवायसी के साथ) के अंतर्गत खोले गए बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम शेष रखने की शर्त नहीं है.बचत बैंक खाते के लिए बैंक दी गई अवधि के दौरान संव्यवहारों की संख्या, नकद आहरणों आदि पर भी प्रतिबंध लगा सकता है. इसी प्रकार से बैंक चेक बुके जारी करने, अतिरिक्त लेखा विवरणियों, डुप्लीकेट पासबुक, फोलियो शुल्क आदि के लिए शुल्क निर्धारित कर सकता है. खातों के परिचालन से संबंधित निबंधन एवं शर्तें तथा उपलब्ध कराई जानेवाली विभिन्न सेवाओं के लिए शुल्क-सूची जैसे सभी ब्योरे खाता खोलते समय भावी जमाकर्ता को सूचित किए जाएंगे. शुल्क-सूची अथवा निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन होने पर उसकी सूचना ग्राहक को 30 दिन पहले भेजी जाएगी.नोटिस अवधि के दौरान, बैंक विनिर्दिष्ट उच्च न्यूनतम शेषराशि बनाए रखने के लिए प्रभार नहीं लगाएगा.

iv.खाता खोलने के लिए पात्रता

क) **बचत बैंक खाते** पात्र व्यक्ति/ व्यक्तियों और कुछ संगठनों/एजेंसियों (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित किए अनुसार) के लिए खोले जा सकते हैं.

ख) **चालू खाते** व्यक्तियों/ साझेदारी फर्मों/ निजी एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/ हिंदू अविभाजित परिवारों/ विनिर्दिष्ट असोसिएट/ सोसाइटियों/ ट्रस्टों, आदि द्वारा खोले जा सकते हैं.

ग) **मीयादी जमा** खाते व्यक्तियों/ साझेदारी फर्मों/ निजी एवं पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/ हिंदू अविभाजित परिवारों/ विनिर्दिष्ट असोसिएट/ सोसाइटियों/ ट्रस्टों आदि द्वारा खोले जा सकते हैं.

v.जमा खाता खोलते समय समुचित सावधानी प्रक्रिया में व्यक्ति की पहचान, पते के सत्यापन, हस्ताक्षर के सत्यापन, उनके व्यवसाय और आय

के स्रोत के बारे में संतुष्टि कर लेना शामिल है. किसी एनआरआई का जमा खाता खोलते समय समुचित सावधानी प्रक्रिया में ग्राहक के बारे में उनकी एनआरआई स्थिति को स्थापित करना प्रकिया का एक अतिरिक्त भाग है.

vi.बैंक की अपने ग्राहक को जानिए और एंटी मनी लांडरिंग पर स्पष्ट रूप से परिभाषित नीति है और यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

vii.समुचित सावधानी अपेक्षाओं के अलावा केवाईसी मानदंडों के तहत, केवल एनआरआई से संबंधित एनआरई/एफसीएनआर जमाराशियों के मामले को छोड़कर, बैंक के लिए स्थाई खाता संख्या (पैन) अथवा आयकर अधिनियम/ नियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए अनुसार फॉर्म सं. 60 अथवा 61 में घोषणा प्राप्त करना कानूनन आवश्यक है.

3.2 **जमा खातों का परिचालन**

i. किसी व्यक्ति द्वारा जमा खाते अपने नाम में (स्थिति: एकल नाम में खाता के रूप में जाना जाता है) अथवा एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उनके नामों में (स्थिति: संयुक्त खाता के रूप में जाना जाता है) खोला जा सकता है. नाबालिग भी अपने नैसर्गिक अभिभावक के साथ अथवा अभिभावक के रूप में माँ के साथ संयुक्त रूप से बचत बैंक खाता (स्थिति: नाबालिग खाता के रूप में जाना जाता है)खोल सकते हैं.***10 वर्ष से अधिक की आयु के नाबालिगों को भी स्वतंत्र रूप से खाता खोलने तथा उसे परिचालित करने (सीमाओं के साथ)की अनुमति होगी.***

ii. **संयुक्त खाते का परिचालन** - एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा खोले गए संयुक्त खाते का परिचालन एक व्यक्ति द्वारा अथवा एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से (सभी द्वारा संयुक्त रूप से/ दोनों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी द्वारा/ किसी एक अथवा उत्तरजीवी द्वारा/ परवर्ती अथवा उत्तरजीवी द्वारा/ पहले अथवा उत्तरजीवी द्वारा) किया जा

सकता है. ग्राहक से इस प्रकार के परिचालन निर्देश खाता खोलते समय अथवा सभी खाता धारकों की विधिवत् सहमति के साथ बाद प्राप्त किए जाने चाहिए. नाबालिग द्वारा अपने नैसर्गिक अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से खोले गए बचत बैंक खाते का संचालन केवल नैसर्गिक अभिभावक ही कर सकता है.

3.3 अधिदेश

संयुक्त खाताधारक उपर्युक्त खातों में शेष राशि के निपटान के लिए निम्नलिखित अधिदेशों में से कोई एक अधिदेश दे सकते हैं:

i. दोनों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी: यदि खाता दो व्यक्तियों, उदाहरण के लिए क एवं ख द्वारा धारित है तो खाताधारकों में से किसी एक की मृत्यु होने पर अंतिम शेष राशि ब्याज के साथ, यदि लागू होती हो, उत्तरजीवी को अदा कर दी जाएगी.

ii. किसी एक अथवा उत्तरजीवी/यों: यदि खाता दो व्यक्तियों से अधिक, उदाहरण के लिए क, ख एवं ग द्वारा धारित है तो खाताधारकों में से किन्हीं दो की मृत्यु होने पर अंतिम शेष राशि ब्याज के साथ, यदि लागू होती हो, उत्तरजीवी को अदा कर दी जाएगी.

iii. परवर्ती अथवा उत्तरजीवी: द्वितीय नामित खाताधारक अकेले खाते का परिचालन कर सकता है और खाते की राशियों पर उसका पूरा अधिकार रहेगा. उत्तरजीवी की भूमिका परवर्ती की मृत्यु के बाद ही अस्तित्व में आती है.

iv. पहला अथवा उत्तरजीवी: पहला नामित खाताधारक अकेले खाते का परिचालन कर सकता है और खाते की राशियों पर उसका पूरा अधिकार रहेगा. उत्तरजीवी की भूमिका पहले की मृत्यु के बाद ही अस्तित्व में आती है.

उपर्युक्त अधिदेश मीयादी जमाओं की परिपक्वता की तारीख पर अथवा उसके बाद ही लागू होंगे अथवा परिचालित होंगे. सभी खाताधारकों की सहमति से इस अधिदेश को आशोधित किया जा सकता है.

जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक जमाकर्ता द्वारा उसकी ओर से खाते का परिचालन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत करने संबंधी अधिदेश/ मुख्तारनामे को पंजीकृत करेगा.

सामान्य परिस्थितियों में संयुक्त जमा को समयपूर्व समाप्त करने की अनुमति तभी दी जाएगी यदि जमाकर्ता इस संबंध में एक हस्ताक्षरित अनुरोध दें.

दोनों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी, पहला अथवा उत्तरजीवी, परवर्ती अथवा उत्तरजीवी और किसी एक अथवा उत्तरजीवी परिचालन निदेश वाले मीयादी जमा मामले में मीयादी जमा खाताधारकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे खाता खोलते समय ही बैंक को इस बात के लिए प्राधिकृत करते हुए एक अतिरिक्त अधिदेश दें कि जमा कर्ता/ओं के निधन की स्थिति में बैंक जमा राशि को समयपूर्व समाप्त कर उसकी राशि उत्तरजीवी/यों को सौंप दे. यदि यह अधिदेश उपलब्ध न हो तो जमा को समयपूर्व बंद कर दिया जाएगा और राशि उत्तरजीवी/यों को सौंप दी जाएगी बशर्ते दिवंगत के कानूनी उत्तराधिकारी इसके लिए सहमत हों.यह अधिदेश केवल जमा को समयपूर्व बंद करने के लिए लागू होगा.

3.4 **संयुक्त खाता धारकों के नाम जोड़ना अथवा हटाना**

बैंक सभी संयुक्त खाता धारकों के अनुरोध पर यदि स्थितियों के कारण जरूरी हुआ तो संयुक्त खाता धारक/कों के नाम जोड़ या हटा सकता है अथवा किसी वैयक्तिक जमाकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति का नाम संयुक्त खाता धारक के रूप में जोड़ने की अनुमति दे सकता है.

3.5 **नामांकन**

एकल व्यक्तियों द्वारा खोले गए सभी जमा खातों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है. नामांकन की सुविधा एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान खाते के लिए भी उपलब्ध है. नामांकन केवल एक व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है. इस प्रकार से किए गए नामांकन को खाताधारक/कों द्वारा किसी भी समय निरस्त अथवा परिवर्तित किया जा सकता है. नामांकन, उसका निरसन अथवा उसमें परिवर्तन करते समय एक अन्य पक्षकार की गवाही आवश्यक है. नामांकन को खाताधारक/कों की सहमति से आशोधित किया जा सकता है. नामांकन नाबालिग के पक्ष में भी किया जा सकता है.

बैंक सिफारिश करता है कि सभी जमाकर्ताओं को नामांकन सुविधा का लाभ उठाना चाहिए. जमाकर्ता/ओं की मृत्यु होने पर नामिती कानूनी उत्तराधिकारियों के ट्रस्टी के रूप में खाते में शेष राशि प्राप्त कर सकेगा. जमा खाता खोलते समय जमाकर्ता को नामांकन सुविधा के फायदों के बारे में सूचित किया जाएगा.

3.6 **नाबालिग का खाता**

i. नाबालिग बचत बैंक खाता खोल सकता है और नैसर्गिक अभिभावक अथवा नाबालिग स्वयं यदि वह 10 वर्ष से अधिक आयु का/की है उसे संचालित कर सकता है. यह खाता संयुक्त रूप से भी खोला जा सकता है.

ii. बालिग होने पर पूर्ववर्ती नाबालिग अपने खाते में शेष की पुष्टि करे और यदि उक्त खाता नैसर्गिक अभिभावक/ अभिभावक द्वारा परिचालित है तो नैसर्गिक अभिभावक द्वारा विधिवत सत्यापित पूर्ववर्ती नाबालिग के नये नमूना हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ प्राप्त किए जाएंगे और सभी परिचालनगत प्रयोजनों के लिए रिकार्ड में रखे जाएंगे. अभिभावक द्वारा नाबालिग के बालिग होने की तारीख से पहले जारी किए गए किंतु नाबालिग के बालिग होने की तारीख के

बाद प्रस्तुत किए गए चेकों के लिए नाबालिग की पुष्टि आवश्यक होगी.

3.7 अशिक्षित/ नेत्रहीन व्यक्ति का खाता

बैंक अपने विवेक पर अशिक्षित व्यक्ति के चालू खाते के अलावा अन्य प्रकार के जमा खाते खोल सकता है. ऐसे व्यक्ति का खाता खोला जा सकता है बशर्ते वह एक ऐसे गवाह को, जिसे वह और बैंक दोनों जानते हों, साथ लेकर व्यक्तिगत रूप से बैंक में आए. सामान्य तौर पर ऐसे बचत खातों के लिए चेक बुक की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है. जमा राशि और/अथवा ब्याज के आहरण/चुकौती के समय खातेदार को प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष अपने अंगूठे का निशान लगाना होगा जो उस व्यक्ति की पहचान को सत्यापित करेगा. बैंक खातेदार को दी जाने वाली खाता विवरणी आदि को उचित तरीके से रखने और सुरक्षित अभिरक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट करेगा. बैंक का अधिकारी अशिक्षित/ नेत्रहीन व्यक्ति को खाते को अभिशासित करने वाले निबंधनों और शर्तों को स्पष्ट करेगा.

बैंक अनिवार्य रूप से नेत्रहीन व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगा तथा इन व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाएं लेने के लिए सभी संभव सहायता प्रदान करेगा. बैंक अधिकारी नेत्रहीन व्यक्ति को खाते का नियंत्रण करनेवाली शर्तें और निबंधन समझाएगा.

3.8 खाते का अंतरण

जमाकर्ता के अनुरोध पर जमा खाते को बैंक की अन्य शाखा में अंतरित किया जाएगा.

3.9 खाता विवरण

बैंक द्वारा बचत बैंक और चालू जमा खाता धारकों को खाता खोलने की शर्तों और निबंधनों के अनुसार आवधिक रूप से खाता विवरण

दिया जाएगा. वैकल्पिक रूप से बैंक पास बुक की सुविधा भी उपलब्ध कराता है.

3.10 **ब्याज की अदायगी**

बचत और मीयादी जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट दरों पर की जाएगी.

3.11 **डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग**

बैंक के ग्राहकों से एटीएम कार्ड/डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग संबंधी अनुदेश फोन बैंकिंग चैनल द्वारा दिन के चौबीसों घंटे और शाखा चैनल द्वारा ग्राहक समय के दौरान स्वीकार किये जाएंगे. कार्ड जारी करते समय ग्राहक को फोन बैंकिंग नंबर उपलब्ध कराए जाते हैं और सभी शाखाओं में विस्तृत लीफलेट उपलब्ध रहती है जिसमें नंबर दिए रहते हैं.

3.12 **भुगतान रोको (स्टॉप पेमेंट) सुविधा**

बैंक जमाकर्ताओं द्वारा जारी किए गए चेकों के संबंध में उनसे प्राप्त होने वाले भुगतान रोको अनुदेश को स्वीकार करेगा. इसके लिए निर्धारित दर से शुल्क वसूल किया जाएगा.

3.13 निष्क्रिय (डॉरमेंट) / अदावी खाते /जमा

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार , किसी खाते को तब अपरिचालित/निष्क्रिय खाता माना जाएगा जब उस खाते में दो वर्ष की अवधि तक ग्राहक द्वारा किए गए कोई भी लेनदेन न हों. बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसे अपरिचालित खाते में परिचालन संशोधित केवायसी दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद फिर से जारी/प्रारंभ / स्वीकृत किए जा सकेंगे. तथापि, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अतिरक्त सावधानी बरतने के कारण ग्राहक को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो.

यदि कोई खाता 10 वर्ष या उससे अधिक समय से अपरिचालित रहता है तो उसे अदावी खाता / जमा माना जाता है. ऐसे खातों/जमा की सूची बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी. वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानेवाली इस सूची में केवल खात धारकों के नाम और पते दिए जाएंगे.

ऐसे निष्क्रिय / अदावी खातों को जमाकर्ता और बैंक के हित में एक अलग निष्क्रिय/ अपरिचालन खाता स्थिति में अंतरित कर दिया जाएगा. निष्क्रिय / अदावी खाते को परिचालित खाते में बदलने के लिए बैंक द्वारा कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा.

2. मीयादी जमा राशि

मीयादी जमा राशि, जिन्हें फिक्स डिपॉज़िट अथवा टाइम डिपॉज़िट के रूप में भी जाना जाता है, की चुकौती नियत अवधि की समाप्ति के बाद होती है. जमाकर्ता को ब्याज तिमाही अंतराल में दिया जाता है अथवा तिमाही आधार पर संचयी किया जाता है. जमाकर्ता के विशिष्ट अनुरोध पर ब्याज की अदायगी मासिक अंतराल पर भी की जा सकती है पर यह बट्टागत दर पर होगी.

4.1 मीयादी जमा राशियों के प्रकार

i. सावधि जमा (फिक्स डिपॉजिट) - ब्याज आवधिक आधार पर अदा किया जाता है.

- जमाराशियां, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्वीकार की जा सकती हैं.
- ब्याज तिमाही / मासिक (बट्टागत दर पर) आधार पर देय होगा.
- ब्याज नकद द्वारा (आयकर अधिनियम, 1961 की कुछ शर्तों के अधीन) अथवा परिचालनगत खाते में जमा करने द्वारा अदा किया जाएगा.

ii. संचयी मीयादी जमा - ब्याज तिमाही आधार पर जमा होगा.

- जमाराशियां, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए स्वीकार की जा सकती हैं.
- ब्याज की गणना तिमाही संचयी अंतराल में की जाती है. संचयी जमा राशियों पर ब्याज को पुनर्निवेशित माना जाता है.
- इस योजना के अंतर्गत मीयादी जमा की परिपक्वता तक ब्याज के दिये जाने की अनुमति नहीं है.

iii. फ्लेक्सी फिक्स डिपॉज़िट (एफएफडी) - इसे स्वीप इन सेविंग बचत खाता भी कहा जाता है.जब भी परिचालन खाते में नामे का भुगतान करने के लिए बचत खाते की राशि कम पड़ जाती है, बैंक की निर्धारित प्रक्रिया के लिए एफएफडी को तोड़ा जा सकता है. यह मीयादी जमा साधारण फिक्स्ड डिपॉजिट या संचयी मीयादी जमा हो सकता है.

iv. कर बचत मीयादी खाता - यह एक मीयादी खाता है जिसमें ग्राहक को निवेश की गई राशि पर आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लाभ मिलता है. तथापि, इन जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज कर योग्य है.

v. विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमा राशियां - एनआरआई के लिए मूल्यवर्गित विदेशी मुद्रा में मीयादी जमा राशियां.

vi. अस्थिर ब्याज दर मीयादी जमा - जहां सभी मीयादी जमा योजनाओं पर स्थिर दर लागू रहती है, बैंक के पास अपने खुदरा ग्राहकों के लिए खुदरा मीयादी जमा पर अस्थिर ब्याज दर (एफआरटीडी) की सुविधा उपलब्ध है. एफआरटीडी के मामले में ब्याज दर, पारदर्शी, बाजार आधारित रुपया बेंचमार्क दर अर्थात् 364-दिन के खजाना बिलों की औसत आय पर आधारित है.

vii. पूंजी अभिलाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत जमाराशियां - बैंक

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीडीटी की पूंजी अभिलाभ योजना खाता योजना(सीजीएएस) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत है. पूंजी परिसंपत्तियों के अंतरण के कारण होनेवाले दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ की राशि अथवा निवल प्रतिफल का उपयोग आयकर अधिनियम के अधीन निर्धारित प्रतिबद्ध अवधि के भीतर विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है तो वे कर के लिए पात्र नहीं होते. पूंजी अभिलाभ की वे राशियां जिनका उपयोग विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, को सीजीएएस, 1988 के प्रावधानों के अनुसार आईडीबीआई बैंक के साथ खोले गए विशेष बचत बैंक अथवा मीयादी जमा खाते में जमा किया जा सकता है.

4.2 **ब्याज की अदायगी**

i. भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार मीयादी जमाओं पर ब्याज की गणना तिमाही अंतरालों पर की जाएगी और जमाओं की अवधि के आधार पर बैंक द्वारा निश्चित की गई दर से उसे अदा किया जाएगा. मासिक जमा योजना के मामले में ब्याज की गणना तिमाही आधार पर की जाएगी और बट्टाकृत मूल्य पर मासिक रूप से उसकी अदायगी की जाएगी. बैंक मीयादी जमाओं पर भारतीय बैंक संघ द्वारा सूचित किए गए फॉर्मूलों और और परंपराओं के आधार पर ब्याज की गणना करता है.

ii. एफसीएनआर जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान , भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनिर्दिष्ट आधार के अनुसार गणना की गई दरों के अनुसार किया जाएगा. एफसीएनआर जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान वर्ष में 360 दिन के आधार पर पर किया जाएगा और इसकी गणना प्रत्येक 180 दिन के अंतराल पर की जाएगी.

iii. जमाराशियों पर ब्याज दरें बैंक की शाखाओं में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाती हैं. इन्हें बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदर्शित

किया जाता है. जमा योजनाओं और अन्य संबंधित सेवाओं में होनेवाले परिवर्तनों को भी सूचित किया जाएगा तथा प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा.

iv. बैंक पर यह सांविधिक दायित्व है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा धारित सभी मीयादी जमाओं पर उपचित/देय कुल ब्याज राशि आयकर अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट राशि से अधिक होती है तो वह स्रोत पर कर की कटौती करे. बैंक काटी गयी कर राशि के लिए कर कटौती प्रमाणपत्र (टीडीएस प्रमाणपत्र) जारी करेगा. यदि जमाकर्ता टीडीएस से छूट के लिए हकदार है तो वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित फॉर्मेट में घोषणा प्रस्तुत कर सकता है. उक्त छूट की सुविधा का लाभ उठाने के लिए जमाकर्ता को बैंक में किए गए अपने प्रत्येक जमा के लिए इस प्रकार की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी.

v. भारत में आयकर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अधीन एनआरआई और एफसीएनआर मीयादी जमाराशियों पर अर्जित / प्रोद्भूत ब्याज भारत में कर मुक्त है अत: इन जमाराशियों के संदर्भ में स्रोत पर किसी कर से कटौती नही की जाएगी. तथापि बैंक पर यह सांविधिक दायित्व है कि वह एनआरओ मीयादी जमा राशियों पर प्रदत्त/देय ब्याज पर विनिर्दिष्ट दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करे. जमाकर्ता भारत द्वारा विभिन्न देशों की सरकारों के साथ किए गए डबल टैक्स अवायडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए) के तहत घटी हुई दरों का दावा कर सकता है.

vi. सभी ब्याज भुगतान नज़दीकी रुपये में पूर्णांकित किए जाएंगे.

vi. मीयादी जमा खाता धारक अपनी राशियां जमा करते समय परिपक्वता की तारीख को जमा खाता को बंद करने अथवा आगे और अवधि के लिए उसका नवीकरण करने के बारे में निदेश दे सकते हैं. ऐसा अधिदेश न होने पर बैंक मीयादी जमा को मूल मीयादी जमा की अवधि के समान स्वमेव नवीकृत कर देगा. यदि ग्राहक अवधि में

परिवर्तन चाहता है अथवा अपनी मीयादी जमा की परिपक्वता के पहले प्राप्तियां चाहता है तो ग्राहक से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर भावी तारीख से इसके लिए अनुमति दी जाएगी.

4.3 **मीयादी जमा को परिपक्वता से पहले आहरित करना**

बैंक अपने विवेक पर जमाकर्ता के अनुरोध पर जमा के नियोजन के समय सहमत जमा अवधि के पूर्ण होने के पहले मीयादी जमा के आहरण की अनुमति दे सकता है. बैंक समय-समय पर मीयादी जमा के परिपक्वता से पूर्व आहरण के लिए अपनी दांडिक ब्याज नीति की घोषणा करेगा. बैंक जमाकर्ताओं को जमा दर के साथ ही लागू दर की जानकारी देगा. बैंक व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों के अलावा अन्य प्रकार के खातेदारों द्वारा धारित बड़ी राशि के जमाओं के परिपक्वता पूर्व आहरण से इंकार कर सकता है. और ऐसी नीतियों की जानकारी ग्राहकों को पहले दी जाती हैं.

सामान्य परिस्थितियों में संयुक्त जमा को समय पूर्व बंद करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब सभी जमा धारक इस संबंध में एक अनुरोध पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें. दोनों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी, पहला अथवा उत्तरजीवी, परवर्ती अथवा उत्तरजीवी और किसी एक अथवा उत्तरजीवी के परिचालन अनुदेश वाली मीयादी जमाराशियों के मामले में, संबंधित अधिदेश न होने पर ऐसे जमा को समय पूर्व बंद करने की अनुमति तभी दी जाएगी जब दिवंगत के कानूनी उत्तराधिकारी इस प्रकार जमा को समयपूर्व बंद करने के लिए सहमत हों. जिन मामलों में बैंक के पास संबंधित अधिदेश उपलब्ध हो, उत्तरजीवियों के पक्ष में ऐसे जमा को समयपूर्व बंद करने की अनुमति दी जाएगी.

रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में एक वर्ष से कम के एनआरई और एफसीएनआर मीयादी जमा को समयपूर्व बंद करने पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा.

4.4 **मीयादी जमा का परिपक्वता से पहले नवीकरण**

यदि जमाकर्ता मौजूदा मीयादी जमा खाते को समयपूर्व बंद कर जमा का नवीकरण कराना चाहता है तो बैंक नवीकरण की तारीख को लागू दर पर नवीकरण की अनुमति देगा, बशर्ते जमा का नवीकरण मूल जमा की शेष अवधि से ज्यादा अवधि के लिए नवीकृत किया जाए. जमा को नवीकरण के लिए समयपूर्व बंद करते समय, जितने दिनों के लिए जमा बैंक के पास रहा है उतने दिनों के लिए उस अवधि पर लागू दर से ब्याज की अदायगी की जाएगी न कि संविदागत दर पर.ऐसे जमा पर समयपूर्व बंद करने का जुर्माना, यदि लागू हो , लगाया जाता है.

4.5 **अतिदेय मीयादी जमाओं का नवीकरण**

जब कोई मीयादी जमा परिपक्वता पर नवीकृत किया जाता है उस समय जमाकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नवीकृत जमा पर परिपक्वता की तारीख को लागू ब्याज दर लागू होगी. यदि नवीकरण के लिए अनुरोध परिपक्वता की तारीख के बाद प्राप्त होता है तो ऐसे अतिदेय जमाओं को देय तारीख को लागू ब्याज दर पर परिपक्वता की तारीख से नवीकृत किया जाएगा बशर्ते इस आशय का अनुरोध परिपक्वता तारीख से 14 दिनों के अंदर प्राप्त हो. परिपक्वता तारीख से 14 दिनों के बाद नवीकृत की गई अतिदेय जमाराशियों के संदर्भ में बैंक द्वारा समय-समय पर तय की गई दरों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज की अदायगी की जाएगी. ग्राहक से कोई अनुदेश न मिलने पर बैंक परिपक्वता की तारीख को खाते के स्वमेव नवीकरण की प्रथा का अनुकरण करता है. नवीकृत जमा पर ब्याज की दर उस दिन लागू ब्याज दर के अनुसार होगी.

4.6 **जमाराशियों पर अग्रिम**

बैंक आवश्यक प्रतिभूति दस्तावेज निष्पादित कर जमाकर्ता/ओं द्वारा विधिवत उन्मोचित मीयादी जमाओं पर ऋण/ ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए जमाकर्ताओं से प्राप्त होने वाले अनुरोध पर विचार कर सकता है. बैंक नाबालिग के नाम में मौजूद जमा पर ऋण मंजूर करने के लिए विचार कर

सकता है किंतु इसके लिए जमाकर्ता-आवेदक द्वारा इस आशय की एक समुचित घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उक्त ऋण नाबालिग के लाभ के लिए लिया जा रहा है.

4.7 **दिवंगत जमा खाते में देय राशियों का निपटान**

i. यदि जमाकर्ता ने बैंक के पास नामांकन पंजीकृत कराया है तो बैंक नामिती की पहचान आदि के बारे में संतुष्ट होने पर दिवंगत जमाकर्ता के खाते में बची शेष राशि नामिती के खाते में अंतरित कर दी जाएगी/ अदा कर दी जाएगी.

ii. संयुक्त खाते के मामले में जहाँ बैंक के पास नामांकन पंजीकृत होता है उन मामलों में भी उपर्युक्त प्रक्रिया का पालन किया जाएगा.

iii. संयुक्त जमा खाते में, यदि एक संयुक्त खाता धारक का निधन हो जाता है तो बैंक को दिवंगत के कानूनी उत्तराधिकारियों और उत्तरजीवी जमाकर्ता (ओं) को संयुक्त रूप से भुगतान करना पड़ता है. तथापि, यदि संयुक्त खातेदारों ने खाते में शेष के निपटान के लिए "दोनों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी, पूर्ववर्ती /परवर्ती अथवा उत्तरजीवी, उत्तरजीवियों में से कोई एक अथवा उत्तरजीवी" आदि के रूप में अधिदेश दिए थे तो दिवंगत के उत्तराधिकारियों द्वारा कानूनी कागज़ात प्रस्तुत करने में विलंब से बचने के लिए भुगतान अधिदेश के अनुसार किया जाएगा.

iv. नामांकन न होने पर और जहाँ दावेदारों के बीच विवाद न हो बैंक सभी कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा अथवा उनकी ओर से खाते की राशि प्राप्त करने हेतु अधिदेशित व्यक्ति द्वारा संयुक्त आवेदन और क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने पर, बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एवं बैंक के आंतरिक दिशा-निर्देशों द्वारा अनुमोदित सीमा तक विधिक दस्तावेजों पर जोर दिए बिना दिवंगत व्यक्ति के खाते में शेष राशि का भुगतान करेगा. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विधिक औपचारिकताओं को पूरा करने में होने वाली देरी के कारण सामान्य जमाकर्ताओं को परेशानी न हो.

4.8. दिवंगत के खाते में मीयादी जमा पर देय ब्याज

i. जमा के परिपक्व होने से पहले जमाकर्ता की मृत्यु होने और परिपक्वता की तारीख के बाद राशि के लिए दावा किए जाने की स्थिति में बैंक संविदा दर पर परिपक्वता की तारीख तक ब्याज की अदायगी करेगा. परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक बैंक अपने पास रखी गई राशि के लिए इस संबंध में बैंक की नीति के अनुसार परिपक्वता की तारीख को प्रचलित साधारण दर से ब्याज की अदायगी करेगा.

ii. तथापि, जमा की परिपक्वता की तारीख के बाद जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, बैंक परिपक्वता की तारीख से भुगतान की तारीख तक परिपक्वता की तारीख को प्राप्त होने वाली बचत जमा दर से ब्याज की अदायगी करेगा.

5. अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

5.1 ग्राहक सूचना

बैंक ग्राहक की निजी जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित करता है. आवश्यकता पड़ने पर जानकारी का उपयोग केवल आंतरिक प्रयोजन के लिए अथवा ग्राहकों को नई योजनाओं/सेवाओं के बारे में जागरूक करने (टेलीफोन से/ लिखित रूप में) के लिए किया जाएगा.

5.2 ग्राहक खातों की गोपनीयता

बैंक ग्राहक की अभिव्यक्त अथवा अंतर्निहित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति/पक्षकार को ग्राहक के खाते के विवरण/ब्योरे प्रकट नहीं करेगा. तथापि, इस संबंध में कुछ अपवाद स्थितियां हैं अर्थात्- विधि के अधीन जानकारी प्रकट करने की बाध्यता जहाँ जानकारी का प्रकटन एक बाध्यता है और जहाँ बैंक के हित में ऐसी जानकारी का प्रकटन आवश्यक हो. साथ ही, बैंक मौजूदा परंपरा के अनुसार ग्राहकों/ उधारकर्ताओं की साख (सामान्य स्थिति) के बारे में बैंकों के बीच ऋण-सूचना और ऋण अभिमत का आदान-प्रदान कर सकता है. बैंक इस संबंध में आईबीए द्वारा बनाए गए दिशा-निर्देशों का अनुकरण करता है.

5.3 स्थानीय/बाहरी चेकों का संग्रहण

बैंक की चेक संग्रहण तथा चेकों के देरी से संग्रहण के लिए ब्याज के भुगतान की नीति है और यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

5.4 जमाओं के लिए बीमा कवर

सभी बैंक जमा कुछ सीमाओं और शर्तों के अधीन भारतीय निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) की बीमा योजना के अंतर्गत बीमा रक्षित हैं. यह बीमा सुरक्षा ग्राहक द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में एकसमान श्रेणी और अधिकार वाले ग्राहक को अधिकतम एक लाख रुपये तक उपलब्ध है. बैंकों, केंद्र एवं राज्य सरकारों (अर्द्ध सरकारी निकायों, स्थानीय स्वायत्त निकायों, सरकारी सहकारी संस्थाओं सहित) और विदेशी सरकार के नाम में रखी गई जमाराशियां इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं. प्रवृत्त बीमा सुरक्षा के ब्यौरे जमाकर्ता को उपलब्ध कराए जाएंगे.

5.5 सुरक्षित जमा लॉकर

यह सुविधा बैंक की सभी शाखाओं में उपलब्ध नहीं है और जहाँ यह सुविधा उपलब्ध है वहाँ सुरक्षित जमा वाल्ट का आबंटन उसकी उपलब्धता और इस सेवा पर लागू होने वाले अन्य निबंधनों एवं शर्तों के अधीन है. सुरक्षित जमा लॉकर व्यक्ति (जो नाबालिग न हो) द्वारा अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति (यों) के साथ संयुक्त रूप से, हिंदू अविभक्त परिवारों, फर्मों, लिमिटेड कंपनियों, एसोसिएटों, सोसाइटियों, ट्रस्टों आदि द्वारा किराये पर लिए जा सकते हैं. एकल रूप से अथवा संयुक्त रूप से लॉकर धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है. संयुक्त नामों में धारित लॉकरों के लिए अधिकतम दो नामिती नियुक्त किए जा सकते हैं. संयुक्त लॉकर धारक जमा खातों की प्रक्रिया के समान धारकों में से किसी की मृत्यु होने की स्थिति में लॉकर खोलने के लिए अधिदेश दे सकते हैं. लॉकर में रखी गई वस्तुओं के निपटान के लिए नामांकन अथवा अधिदेश उपलब्ध न होने की स्थिति में जनसाधारण को होने वाली दिक्कतों से बचाने के उद्देश्य

से बैंक जमा खातों के लिए लागू प्रक्रिया अनुसार दिवंगत के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा क्षतिपूर्ति बांड प्रस्तुत करने पर लॉकर की वस्तुओं को उन्हें सौंप देगा.

5.6 **बचत एवं चालू खाते को स्वप्रेरणा से बंद करना**

बैंक उन खातों को बंद करेगा जो अवांछित और अलाभकारी हों. यह खाते ग्राहक को, बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहक के पते पर उपयुक्त लिखित नोटिस भेजने के बाद ही बंद किए जाएंगे. अवांछित और अलाभकारी होने के लक्षण निम्नानुसार हैं:

क) खाते में पर्याप्त शेष न रखते हुए चेक जारी करना.

ख) बैंक खाते के ज़रिए किए गए असावधानीपूर्ण/कपटपूर्ण लेनदेन जिनसे बैंक को आवश्यक जोखिम का खतरा हो.

ग) शून्य शेषराशि वाले खाते.

घ) रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निष्क्रिय/अपरिचालित खाते.

ङ) ऐसे खाते जिनमें भारी राशि के नकद लेनदेन किए जा रहे हों जो ग्राहक की दी गई प्रोफाइल के अनुसार आनुपातक न हों.

च) ऐसे खाते, जिनमें बैंक की राय में ऐसे लेनदेन किए जा रहे हों जिनमें मनी लांडरिंग की संभावना दिख रही हो

छ) ऐसे खाते, जिनमें बैंक ग्राहक द्वारा जानकारि न दिए जाने और / अथवा इस संबंध में असहयोग के कारण उपयुक्त केवाईसी उपाय लागू नहीं कर पा रहा हो.

ज) संबंधित योजना/उत्पाद पर लागू अनुसार चालू अथवा बचत खाते के लिए न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकताओं का अनुपालन न होना.

बैंक की ग्राहक विच्छेद नीति है और ग्राहक परिचालनगत प्रक्रियाओं और स्पष्टीकरणों के लिए इसकी जानकारी शाखा से ले सकते हैं. समय-समय पर लागू ब्याज दरों के अनुसार ग्राहक के खाते में सही ब्याज, यदि कोई हो,

जमा किया जाएगा. मीयादी जमाराशियों को परिपक्वता अवधि से पहले बंद करने के मामले में, समय-समय पर लागू दरों पर दांडिक ब्याज, यदि कोई हो, लगाया जाएगा. खाते में पड़ी शेष राशि से सभी प्रभार और फुटकर व्यय घटाने के बाद, शेष राशि को पे ऑर्डर / डीडी द्वारा ग्राहक के अंतिम ज्ञात पते पर भेजा जाएगा.

5.7 शिकायतों का निवारण

बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के संबंध में किसी प्रकार की शिकायत होने पर जमाकर्ताओं को यह अधिकार है कि वे ग्राहक शिकायतों को देखने के लिए बैंक द्वारा पदनामित प्राधिकारी (यों) से संपर्क कर सकते हैं. शिकायतों के निवारण के लिए बनाई गई आंतरिक व्यवस्था के विवरण शाखा परिसर में प्रदर्शित किए जाएंगे. शाखा अधिकारी शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएंगे. यदि जमाकर्ता को शिकायत की तारीख से 60 दिनों के अंदर बैंक से जवाब नहीं मिलता है अथवा वह बैंक से मिले उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो उसे यह अधिकार है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकता है. बैंक के कॉरपोरेट कार्यालय में भी एक शिकायत निवारण कक्ष बनाया गया है और ग्राहक अपनी शिकायतें ई मेल के जरिए customercare@idbi.co.in पते पर भेज सकते हैं.

इस नीति में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधन किए जा सकते हैं.